न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 23/2014

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियॉं RAS

1 घीसा पुत्र खांगा जाति गुर्जर निवासी भारू की ढ़ाणी तन चीपलाटा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग नीमकाथाना जिला सीकर।
2 जिला वन अधिकारी वन विभाग सीकर।
3 भूमिधारी जरिए तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 27.05.14
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
बसिलसिले मु.नु. 371/2013 उनवानी
घीसा बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी नीमकाथाना
जिला सीकर आदि आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा
अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. टिनेन्सी एक्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील संख्या 130/2014

1 घीसा पुत्र खांगा जाति गुर्जर निवासी भारू की ढ़ाणी तन चीपलाटा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग नीमकाथाना जिला सीकर।
2 जिला वन अधिकारी वन विभाग सीकर।
3 भूमिधारी जरिए तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 27.05.14
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
बसिलसिले मु.नु. 371/2013 उनवानी
घीसा बनाम क्षेत्रीय वन अधिकारी नीमकाथाना
जिला सीकर आदि में काउन्टर आवेदन
अस्थाई निषेधाज्ञा

Law

उपस्थित

1. श्री लक्ष्मण सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विधाधर सुण्डा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–14.09.2018

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 371/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2014 के विरूद्व पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में अलग–अलग रखी जायेगी।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चिपलाटा तहसील नीमकाथाना में अवस्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 645 में प्रार्थी अपीलांट का 5 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें से 0.63 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी राज्य सरकार द्वारा खसरा नम्बर 645/3 के रूप में दर्ज कर दी गई। शेष भूमि पर प्रार्थी पूर्ववत काबिज काश्त एवं आबाद है खसरा नम्बर 645/3 के नये नम्बर 1280 है खसरा नम्बर 1255 की खातेदारी वन विभाग के नाम दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा मौके के स्थिति के विपरित नक्शा बनाया गया प्रार्थी भूमि खसरा नम्बर 645 एवं 646 में से 4.37 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी अपने मान करवा लेने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की कब्जे शुद्वा भूमि पर खड्डे खोद रहे है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें विचारण न्यायालय ने अप्रार्थीगण का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना

Lan

पत्र खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह दोनों अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर अपीलांट गत 60 साल से अधिक समय से काबिज काश्त होकर मकान बनाकर आबाद है भू-प्रबंध विभाग ने गलत रिकार्ड तैयार कर वन विभाग की खातेदारी अंकित कर दी है कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है विचारण न्यायालय ने इस पर गौर नही कर विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि की है अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन. जे. 2004 पेज 263, आर.एल. डब्ल्यू 1995 पेज 355 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति एफ 1(6)(53)राज 9 /73 दिनांक 21.04.1973 के द्वारा वन खण्ड गांवड़ी के ग्राम चिपलाटा के 3546.88 एकड़ भूमि वन रक्षित घोषित की गई है जिसमें खसरा नम्बर 645 व 646 दी है जिस पर अप्रार्थीगण काबिज है वन विभाग की भूमि है प्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त व निर्माण बाबत कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है। गजट नोटिफिकेशन पर प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय ने पूर्ण विवेचन कर आवेदन खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील अपीलांट खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है वर्तमान का समस्त राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट के नाम से दर्ज होता चला आ रहा है

Lam

नक्शे में तरमीम शुद्व किया जाना तथा घोषणा किया जाना वाद की विषयवस्तु है इस प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य परिस्थिति राजस्व रिकार्ड को दृष्टिगत रखते हुये पृथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में पाये जाते है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण विवेचन कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने एवं अप्रार्थीगण की काउन्टर टी.आई. स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

14.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर